99

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2365—तीन/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 17—11—2006 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 297/अपील/1999—2000.

.....

गेवी प्रसाद पुत्र स्व0 श्री बृजभानराम
निवासी ग्राम गडीहापार तहसील मऊगंज
जिला रीवा म0 प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1—सुशील पुत्र स्व0 गंगाप्रसाद
2—अरूण पुत्र स्व0 गंगाप्रसाद
3—देवेन्द्र पुत्र स्व0 गंगाप्रसाद
निवासी ग्राम घुघुरी तहसील
मऊगंज जिला रीवा म0 प्र0
4—श्रीतती मोवनी पुत्री स्व0 गंगाप्रसाद
पत्नी शारदा प्रसाद निवासी ग्राम ममुई
मऊगंज जिला रीवा म0 प्र0
5—श्रीमती मुन्दी पुत्री स्व0 गंगाप्रसाद
पत्नी नित्यानन्द मिर निवासी गंज
मऊगंज जिला रीवा म0 प्र0
6—श्रीमती छोटकिया पुत्री स्व0 गंगाप्रसाद
पत्नी शिवानन्द दुबे निवासी जमहरा
मऊगंज जिला रीवा म0 प्र0
7—अनुसुईया प्रसाद तनय हरिशचन्द्र
8—सूर्यवली तनय हरिशचन्द्र
9—बैद्यनाथ पुत्र स्व0 रामचन्द्र
10—केदारनाथ पुत्र स्व0 रामचन्द्र
11—द्वारिका प्रसाद पुत्र स्व0 रामचन्द्र

निवासीगण ग्राम घुघुरी तहसील
मऊगंज जिला रीवा म0 प्र0
12–अरूण कुमार तिवारी पुत्र स्व हरिवंशप्रसाद
13–कमलकुमार तिवारी पुत्र स्व हरिवंशप्रसाद
14–कलावती पत्नी स्व0 हरिवंशप्रसाद
15–आशादेवी पुत्री स्व0 हरिवंशप्रसाद
निवासीगण ग्राम गडीहापार तहसील मऊगंज
जिला रीवा म0 प्र0

–––अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री आई0 पी0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक–कमांक
1, 2, 3, 7, 8, 10, 12 की ओर से उपस्थित
शेष अनावेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं

.....

आदेश

(आज दिनांक 08.08.18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–11–2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक सर्किल देवतालाव ने ग्राम घुघुरी की नामांतरण पंजी कमांक 3 आदेश दिनांक 19.10.76 द्वारा खाता कमांक 56 कुल किता 71 रकवा 24.210 एकड़ का नामांतरण मुशतर्का खातेदार भूमिस्वामी राम प्रगास पिता धनुकधारी राम 1/3 हनुमंतराम, अनुसुईयाराम 1/3 रामचन्द्र हरिवंश राम 1/3 हिस्सा लगानी 64.48 पैसे में से हिस्सा 1/3 राम प्रगास के स्थान पर हनुमंत राम को जरिए

वसीयतनामा पाट लेख दिनांक 15.1.71 के आधार पर भूमि स्वामी प्रमाणित किया है, तथा नामांतरण पंजी क्रमांक 2 में पारित आदेश दिनांक 11.9.77 जिसके द्वारा 68 किता भूमि रकवा 22.70 एकड़ का भूमिस्वामी मुस्तर्का खातेदार हरिवंश प्रसाद, गैवी प्रसाद, लल्लू राम तनय वृजभान राम ब्रा0 हिस्सा 1/6 निवासी घुघुरी हाल मुकाम गडीहापार तहसील मऊगंज के वजाय गंगाप्रसाद तनय हनुमंत राम, अनुसुईया प्रसाद तथा हरिश्चन्द्र प्रसाद ब्रा0 रामचन्द्र राम तनय बल्देव राम ब्रा0 निवासी घुघुरी को जरिये वेची पाट नामांतरण प्रमाणित किया गया है जिससे दुखित होकर अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज जिला रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 31.3.83 को निरस्त की गई इसी से दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 17.11.2006 को निरस्त की इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि के 1/6 के हिस्सेदार होने के आधार पर नामांतरण कार्यवाही में आवश्यक एवं हितबद्व पक्षकार थे उसे विधिवत नामांतरण कार्यवाही में सूचना न देकर बाला बाला नामांतरण आदेश पारित कर दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदक ने अपने हिस्से की भूमि कभी विकय नहीं किया है विकय पत्र फर्जी बनाकर नामांतरण कराया है, ऐसे तथा कथित विकय पत्र के आधार पर किये गये नामांतरण प्रथम दृष्ट्या ही निरस्त योग्य है। राजस्व निरीक्षक के समक्ष बेची पाट और वसीयतनामा की सत्यता के संबंध में किसी भी प्रकार की साक्ष्य नहीं ली गई, किन्तु बिना साक्ष्य के उक्त दस्तावेज को प्रमाणित कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने नामांतरण कायम रखने में कानूनी भूल की है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी अपने तर्क में कहा गया है कि ग्राम घुघुरी से करीब 20 किलो मीटर दूर ग्राम गडीहापार कानूनगो सरकिल रामपुर थाना नईगढ़ी में रहते है। जहां पर इस्तहार जारी नहीं

किया। जिससे आवेदक के हक व हिस्सा की भूमियों का जाली दस्तावेजों के आधार पर अनावेदक 1 लगायत 3 के पक्ष में किये गये नामांतरण को कायम रखने में कानूनी भूल की है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–प्रकरण में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश उचित हैं उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। आवेदक को नामांतरण की जानकारी थी, लेकिन प्रत्येक न्यायालय में यही मुददा उठाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है इसलिये अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जावे। अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि संगत होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

5–प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में लेख किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में वर्ष 56–57 के खसरे के कैफियत कॉलम में यह उल्लेख है कि पटटेदार फौत वारिस हनुमन्तराम, अनुसुईया प्रसाद व रामचन्द्र काबिज दाखिल हैं। आवेदक ने अनावेदक कमांक–1 से 6 के स्व0 पिता गंगा प्रसाद, अनावेदक कमांक 9–से 11 के स्व0 पिता रामचन्द्र एवं अनावेदक कमांक–7 को 400/– रूपये में विकय किया था और विकय के आधार पर अनावेदकगण कब्जा दखल भी प्राप्त हो गये थे। इसलिये आवेदक विवादित भूमि का हितधारी व्यक्ति नहीं रह गया क्यों कि उसे विवादित आराजी पर कोई स्वत्व शेष नहीं बचा। अब प्रश्न बसीयतनामा के आधार पर नामांतरण की बैधता से संबंधित है तो रामप्रगास लाऔलाद फौत हुये थे लेकिन उनके संबंधित रिस्तेदारों एवं सगे संबंधियों ने बसीयतनामा के संबंध में कोई आपत्ति किसी भी न्यायालय में नहीं की गई है। इसलिये आवेदक को बसीयतनामा के संबंध में आपत्ति किये जाने की अधिकारिता नहीं है। यही आधार

लेते हुये अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज द्वारा अपील को निरस्त किया गया है, जिसे अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा उचित माना है, और अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2006 में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 297/अपील/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक 17.11.2006 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर